एग्री आर्टिकल्स
(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)
वर्ष: 03, अंक: 01 (जनवरी-फरवरी, 2023)
www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध
© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एस. एन.: 2582-9882

# किसान रेल योजना: किसानों के लिए एक वरदान

(*रवि कुमावत एवं गोवर्धन लाल प्रजापत)
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर
*संवादी लेखक का ईमेल पता: ravikumawat211@gmail.com

भारत में खाद्य, रोजगार और आय सुरक्षा मे कृषि क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। यह भारत में लगभग 66 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है साथ ही सकल घरेलू उत्पाद मे 14 प्रतिशत का महत्वपूर्ण योगदान भी करता है। किसान रेल योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2020.21 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा देश मे उत्पादीत दूध मांस और मछली सहित जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादो के निर्बाध आवागमन हेतु की गई थी जिसके तहत भारतीय रेलवे पीपीपी व्यवस्था (सार्वजनिक–निजी भागीदारी व्यवस्था) के माध्यम से राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण एक्सप्रेस कोच और मालगाड़ियों दवार करेगा जिन्हे ''किसान रेल'' के नाम से जाना जायेगा। कृषको विशेष रूप से छोटे एव सीमांत कृषको को अक्सर अपनी उपज को बेचने में मुश्किल होती है मुख्य रूप से जेसे बड़े बाजारों तक कृषि उत्पादो को पहुँचाने के लिए सस्ते परिवहन की अनुपलब्धता जैसे कारकों के कारण कृषको को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है

**उद्देश्य:** किसान रेल सेवा चलाने का उद्देश्यक फलों सब्जियों मांस, पोल्ट्री, मत्स्य और डेयरी उत्पादों को उत्पादन या अधिशेष क्षेत्रों से अधिक खपत या कमी वाले क्षेत्रो तक न्यूनतम क्षति एव कम समय मे तेजी से पहूचाने हेतु किया गया है किसान रेल योजना मे भारतीय रेलवे के विशाल रेलवे नेटवर्क का उपयोग भविष्य मे किया जाना प्रस्तावित जिससे दूर–दराज तक के बड़े और अधिक आकर्षक बाजारो तक कृषको की पहुंच को सुगम बनाना है ऐसे बाजारों तक पहुंच से कृषक अपनी उपज बेहतर कीमत पर बेचने में सक्षम होंगे साथ ही कृषको की आय को दोगुना करने के सरकार के विजन को पूरा करने में काफी मददगार साबित होगा।

## मुख्य विशेषताएं

(क) योजना का शुंभारम्भ 7 अगस्त 2021 को माननीय केंद्रीय रेल मंत्री एव केंद्रीय कृषि एव किसान कल्याण मंत्री द्वारा देवलाली (महाराष्ट्र) और दानापुर (बिहार) के मध्य पहली किसान रेल के साथ किया गया है।

(ख) योजना मे भारतीय रेलवे के विशाल नेटवर्क का उपयोग किया गया है जिससे दूर–दराज के गांवों के कृषको को अपनी कृषि उपज मुख्य बाजारो तक पहुंचाने मे सक्षम बनाता है।

(ग) कृषको को अपने जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादो को अधिक दूरी और बड़े बाजारो मे विपणन हेतु प्रोत्साहित करता है।

(घ) योजना मे कृषको को फलों और सब्जियों के परिवहन के लिए माल ढुलाई में 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है जिसकी वित्तीय सहायता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100वीं किसान रेल (संगोला, महाराष्ट्र से शालीमार, पश्चिम बंगाल के मध्य) को हरी झंडी दिखा कर रवाना करते हुवे।

मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन (Top to Total) के अंतर्गत की जा रही है।
(ण) किसान रेल योजना बहु–वस्तु, बहु–प्रेषर्णी, बहु–परेषिती, बहु ठहराव की अवधारणा पर आधारित हैं साथ ही बुक की जा सकने वाली मात्रा की कोई न्यूनतम सीमा नहीं है जिससे सीमांत एव मझोले कृषक अपनी कृषि उपज को उचित दर पर विपणन कर पायेंगे।

**क्रियान्वयन एव बुकिंग प्रक्रिया**

कृषको को अपनी खेप (Consignment) बूक कराने हेतु सम्बंधित रेलवे स्टेशन, जहां से किसान रेल सेवा शुरू होनी है या रस्ते में रुकनी है, के मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक (Chief Parcel Supervisor) से संपर्क करना होगा जहा खेप (Consignment) का वजन किया जाकर निर्धारित पार्सल दरों (पी–स्केल) के अनुसार शुल्क लिया जायेगा। कृषको को यह सुनिश्चित करना होगा की सम्बंधित कृषि उत्पाद जिसको विपणन हेतु भेजा जाना है की पैकिंग दोषपूर्ण न हो ताकि परिवहन के दोरान उत्पाद को नुकसान न पहुचे। खेप की माल ढुलाई पर 50 प्रतिशत का सब्सिडी लाभ कृषको को अग्रिम रूप से दीया जायेगा अर्थात उनसे खेप के वास्तविक परिवहन शुल्क का केवल आधा शुल्क ही लिया जायेगा। उपरोक्त शुल्क पर सब्सिडी का वहन ऑपरेशन ग्रीन (Top to Total) के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। योजना का लाभ अधिक से अधिक कृषको को पहुचाने हेतु कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एव राज्य सरकारों के कृषि /पशुपालन/मत्स्य पालन विभागों के परामर्श से सब्जियों, फलों एव अन्य जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादो की आवाजाही के प्रमुख संभावित परिपथो, मार्गों की पहचान की जा रही है। योजना को अधिक से कृषको तक पहुचाने एव प्रभावी बनाने हेतु सभी रेलवे स्टेशनो एव भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर देश मे विभिन्न प्रमुख रेल मार्गो एव परिपथो पर संचालित किसान रेल की सूची भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय अद्यतन कर कर्षकों को उपलब्ध कारवाई गयी है।

**योग्य फसलें**

- **फल**–आम, केला, अमरूद, कीवी, लीची, पपीता, नींबू, अनानास, अनार, कटहल, संतरा, किन्नू, पैशन फ्रूट आदि।
- **सब्जियां**:– फ्रेंच बीन्स, करेला, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, फूलगोभी, हरी मिर्च, भिंडी, प्याज, आलू टमाटर, खीरा, मटर, लहसुन आदि।
- कृषि मंत्रालय एव राज्य सरकारो की सिफारिश के आधार पर भविष्य में अन्य फसलों को भी योजना में शामिल किया जायेगा।

**पात्र संस्थाएं**

फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण / विपणन में कार्यरत खाद्य प्रोसेसर, किसान उत्पादक संगठन (FPO), सहकारी समितियां, व्यक्तिगत किसान, लाइसेंस प्राप्त कमीशन प्रतिनिधि, निर्यातक, राज्य विपणन / सहकारी संघ, खुदरा विक्रेता आदि।

**निष्कर्ष**

किसान रेल योजना तेज परिवहन द्वारा कृषि उत्पादों को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक त्वरित गति से कम समय में पहुंचाना सुनिश्चित करती है जिससे कृषको एव उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचता है। किसान रेल सीमांत, लघु कृषको, छोटे व्यापारियों की आवश्यकताओं को न केवल पूर्ण करेगी वरन जीवन परिवर्तक भी साबित हो रही है क्योंकि यह कृषको की आय बढ़ाने के प्रयास को पूर्ण करती है। तेज और सस्ते परिवहन के साथ बेहतर कीमत के आश्वासन के साथ किसान रेल निश्चित रूप से कृषको के जीवन को बदल रही है साथ ही उत्पादकों एव उपभोक्तावो के मध्य एक निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला का भी निर्माण करने मे सहायक होगी।